



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238276
CG-DL-E-23082022-238276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3768]
No. 3768]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2022

का. आ. 3942(अ).—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें) नियमावली, 1992 के नियम 19क के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 की उप-धारा 1 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा डॉ. वी. रवि अंशुमन को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंशकालिक सदस्य के पद पर, 20.08.2022 के उपरांत 02 वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इसमें से जो भी पहले हो, पुनः नियुक्त करती है।

[फा. सं.2/7/2018-आर.ई.]

रजत कुमार मिश्र, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****(FINANCIAL MARKET DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2022

S. O. 3942(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (l) of section 4 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with rule 19A of the Securities and Exchange Board of India (Terms and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1992, the Central Government hereby re-appoints Dr. V. Ravi Anshuman, as Part-Time Member of the Securities and Exchange Board of India (SEBI), for a further term of 02 years beyond 20.08.2022, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/7/2018-RE]

RAJAT KUMAR MISHRA, Addl. Secy.